

न्यायालय अपर समाहर्ता, गढ़वा
भूमि विक्री अनुमति वाद सं०-284/2021
सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(A) के अंतर्गत
श्री बिगन उरॉव उर्फ जगन उरॉव—विक्रेता
प्रति
श्री ललित उरॉव—क्रेता

—आदेश—

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक/विक्रेता श्री बिगन उरॉव उर्फ जगन उरॉव, पिता—स्व० कारी उरॉव, ग्राम—बाराडीह, पोस्ट—बान्दु, थाना—रंका, जिला—गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता श्री ललित उरॉव, पिता—स्व० तुफानी उरॉव, ग्राम—बाराडीह, पोस्ट—बान्दु, थाना—रंका, जिला—गढ़वा को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(A) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, रंका से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ एवं आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। उप समाहर्ता भूमि सुधार, अंचल अधिकारी रंका के पत्रांक 741/दिनांक 26.11.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ एवं विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के सम्बन्ध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के पिता के नाम से मांग चलता है। विक्रेता जाति के उरॉव (अनुसूचित जन जाति) एवं क्रेता जाति के उरॉव (अनुसूचित जन जाति) के सदस्य हैं। विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना रंका एवं जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि को विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि भूदान, भू-हदबंदी, वन सीमा एवं सार्वजनिक उपयोग इत्यादि से मुक्त हैं प्रस्तावित भूमि आवेदक/विक्रेता के दखल-कब्जे में है।


अतः अंचल अधिकारी, रंका के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आधार पर आवेदक/विक्रेता श्री बिगन उरॉव उर्फ जगन उरॉव, पिता—स्व० कारी उरॉव, ग्राम—बाराडीह, पोस्ट—बान्दु, थाना—रंका, जिला—गढ़वा ने क्रेता श्री ललित उरॉव, पिता—स्व० तुफानी उरॉव, ग्राम—बाराडीह, पोस्ट—बान्दु, थाना—रंका, जिला—गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को विक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(A) के अंतर्गत विक्री हेतु हस्तान्तरण करने की स्वीकृति दी जाती है।

—भूमि का विवरण—


ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
1	2	3	4	5	6
बाराडीह	13	पुराना-41 नया-24	पुराना-154 नया-231	0.43	उ०-कपिलनाथ सिंह, द०-नदी, पू०-कृष्णा उरॉव, प०-नीज विक्रेता,
		पुराना-41 नया-24	पुराना-420 नया-757	0.37	उ०-एनुल्लाह अंसारी, द०-इलहाक अंसारी, पू०-नसीम अंसारी, प०-लक्ष्मण उरॉव एवं नीज विक्रेता,
कुल रकबा:-				0.80	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।



अपर समाहर्ता,
गढ़वा।



अपर समाहर्ता,
गढ़वा।